राजनीतिक दल
[POLITICAL PARTY]

राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की भूमिका को स्वीकार किया गया है। जिस संगठित रूप में राजनीतिक दल आज हमारे सामने विद्यमान हैं, उस रूप में उनका इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है। उनकी उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में हुई है। यूरोप एवं अमेरिका में मताधिकार और प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास के परिणामस्वरूप ऐसे राजनीतिक दलों का गठन हुआ, जिनका उद्देश्य निर्वाचन की प्रतियोगिता द्वारा लोक सत्तात्मक पद प्राप्त करना था। भारत में आजादी के बाद संसदीय प्रणाली को अपनाया गया और पश्चिमी मॉडल के आधार पर राजनीतिक दलों वाली प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति का प्रारम्भ हुआ।

राजनीतिक दल का अर्थ एवं परिभाषाएँ
(Meaning and Definitions of Political Party)

राजनीतिक दल की परिभाषा अनेक विद्वानों ने भिन्न-भिन्न ढंग से की है। मतैक्य के अभाव का कारण यह है कि कोई विद्वान् उनके प्रकार्यों पर जोर देता है तो कोई उनके लक्ष्यों पर। वस्तुत: राजनीतिक दल, जैसा कि इनके नाम से ही प्रकट होता है, शक्ति की ओर अभिमुख संगठन होते हैं। इनका प्रमुख उद्देश्य शक्ति के पदों को प्राप्त करना, उनको अपने हाथों में बनाए रखना तथा उनका दल एवं समाज के हित की दृष्टि से उपयोग करना है। इस प्रमुख उद्देश्य की पूर्ति के अतिरिक्त अन्य जो भी कार्य वे करते हैं उनकी भी दिशा अन्तिम रूप से, इसी उद्देश्य द्वारा निर्धारित होती है।

आर० एम० मैकाइवर (R. M. Maclver) के शब्दों में, ''हम राजनीतिक दल को ऐसी समिति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो किसी सिद्धान्त या ऐसी किसी नीति के समर्थन में संगठित होती है, जिसे वह संवैधानिक उपायों से शासन के निर्णय द्वारा मूर्त बनाने का प्रयास करती है।'' यह परिभाषा आदर्शवादी है क्योंकि यह राजनीतिक दलों के द्वारा व्यवहार में होने वाले अनेक ऐसे कार्यों को स्पष्ट नहीं करती जो वे करते तो हैं, परन्तु जिन्हें पूर्णत: संविधान की परिधि में नहीं बाँधा जा सकता।

कुछ विद्वानों ने राजनीतिक दल की परिभाषा इसके द्वारा निष्पादित प्रकार्यों के आधार पर दी है। **लॉपेलोम्बरा** एवं **वीनर** (LaPalombara and Weiner) के शब्दों में, ''**प्रथम,** इससे जनमत को संगठित करने तथा माँगों को सरकारी शक्ति एवं निर्णय के केन्द्र तक पहुँचाने की आशा की जाती है; **द्वितीय,** इसके लिए अपने अनुयायियों में जन समुदाय का अर्थ एवं अवधारणा सुस्पष्ट करना अनिवार्य है; तथा **तृतीय**, दल राजनीतिक भर्ती करने एवं राजनीतिक नेतृत्व, जिसके हाथों में शक्ति तथा निर्णय लेने का अधिकार होगा, के चयन से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं।'' इस परिभाषा को अपनाने में यह कठिनाई है कि अनेक राजनीतिक दल इन तीन कार्यों के अतिरिक्त भी अनेक कार्य करते हैं, जैसे—विरोध प्रदर्शन, अन्य ऐच्छिक संगठनों के आन्दोलनों को समर्थन आदि। ऐसे राजनीतिक दल इस परिभाषा की परिधि से बाहर हो जाएँगे।

जोसफ ए० शूम्पीटर (Joseph A. Schumpeter) ने सरल शब्दों में इसकी परिभाषा करते हुए लिखा है, ''प्रत्येक राजनीतिक दल का प्रथम एवं प्रमुख उद्देश्य सत्ता-प्राप्ति के लिए या सत्ता में बने रहने के लिए अन्य दलों पर हावी होना है।'' यह परिभाषा राजनीतिक दलों के मूल स्वभाव पर प्रकाश डालती है तथा उसके लक्ष्य पर आधारित है।

एफ० डब्ल्यू० रिग्स (F. W. Riggs) के अनुसार दल, ''वह संगठन है जो विधानमण्डल के चुनाव के लिए प्रत्याशियों को मनोनीत करता है।'' परन्तु यह परिभाषा राजनीतिक दल के उद्देश्य एवं प्रकार्यों को अनावश्यक संकुचित कर देती है क्योंकि राजनीतिक दलों का कार्य विधानमण्डल के लिए प्रत्याशियों का मनोनयन करना ही नहीं है।

लोकतन्त्र में राजनीतिक दलों के कार्य अथवा भूमिका
(Functions or Role of Political Parties in Democracy)

लोकतन्त्र में राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

(1) लोकमत का निर्माण—लोकतन्त्र के लिए राजनीतिक दल अनिवार्य हैं। इनका सर्वप्रमुख कार्य लोकमत का निर्माण करना है। जनता वर्तमान समय के जटिल राजनीतिक प्रश्नों को स्वयं नहीं समझ पाती है।

राजनीतिक दल जनता का ध्यान इन समस्याओं की ओर आकर्षित करने के लिए इन्हें सरल रूप में जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जनता अपने विचारों तथा हितों के अनुरूप किसी-न-किसी राजनीतिक दल के विचारों अथवा कार्यक्रमों में रुचि लेना प्रारम्भ कर देती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से ही लोकमत का निर्माण सम्भव हो पाता है।

(2) निर्वाचनों में सहभागिता—राजनीतिक दल ही चुनाव को सम्भव बनाते हैं। वर्तमान में मताधिकार बहुत व्यापक और विस्तृत होता है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल ही निर्वाचनों में उम्मीदवार खड़ा करते हैं, प्रचार करते हैं, साधन एकत्र करते हैं और जनता के समक्ष चुनावी कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं।

(3) सरकार का गठन—राजनीतिक दल चुनाव के माध्यम से सरकार का गठन करते हैं। यदि विधायिका पृथक्-पृथक् विचारों के व्यक्तियों का समूह रहे, तो स्थिर सरकार का गठन करना असम्भव है। अध्यक्षात्मक सरकार में भी राष्ट्रपति का चुनाव, मन्त्रिपरिषद् का गठन तथा शासन का संचालन कठिन हो जाएगा। राजनीतिक दलों के अभाव में संसदीय शासन एक दिन भी नहीं चल सकता है क्योंकि सरकार के अस्तित्व के लिए सदन के स्पष्ट बहुमत की आवश्यकता होती है। यह बहुमत राजनीतिक दलों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। अध्यक्षात्मक शासन में भी दल के अभाव में शासन-व्यवस्था गतिरोध एवं संघर्ष की स्थिति में परिवर्तित हो जाएगी।

(4) शासन सत्ता को मर्यादित करना—लोकतन्त्र में विरोधी दल शासन की अनुचित नीतियों की आलोचना करके सत्तारूढ़ दल के अत्याचार को रोकते हैं। वे सरकार के जनहित विरोधी प्रस्तावों, योजनाओं व कानूनों की आलोचना करते हैं जबकि सत्तारूढ़ दल दोषरहित होने का प्रयत्न करता है। संगठित विरोधी दल शासन की निरंकुशता, अकुशलता तथा भ्रष्टाचार पर सबसे बड़े अंकुश हैं। विरोधी दल लोकतन्त्र की रक्षा करता है।

(5) शासन के विभागों में एकता तथा समन्वय स्थापित करना—सरकार आंगिक इकाई के रूप में कार्य करती है, जिसके कुशल एवं सफल संचालन के लिए विभिन्न विभागों में एकता तथा सहयोग होना आवश्यक है। संसदीय शासन में व्यवस्थापिका में जिस दल का बहुमत होता है, वही सरकार का गठन करता है। कानून निर्माण व प्रशासन की शक्ति एक स्थान पर होने से तथा दलीय अनुशासन के कारण आवश्यक कानूनों का निर्माण सम्भव होता है। संसदीय शासन प्रणाली में तो राजनीतिक दलों के द्वारा ही विधायिका तथा कार्यपालिका में सहयोग तथा सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न की जाती है।

(6) राजनीतिक चेतना जाग्रत करना—राजनीतिक दल राजनीतिक चेतना का महत्त्वपूर्ण साधन हैं। ये जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। सार्वजनिक सभा, प्रचार, वाद-विवाद, साहित्य वितरण तथा समाचारों के माध्यम से ये दल जनता को राजनीतिक रूप से जाग्रत और शिक्षित करते हैं। लोकप्रियता बढ़ाकर राजनीतिक शक्ति पर अधिकार स्थापित करने के लिए दल जो कुछ करते हैं, वह राजनीतिक शिक्षा का साधन है।

(7) जनता तथा शासन में सम्बन्ध स्थापित करना—राजनीतिक दल जनता और शासन में सामंजस्य स्थापित कर लोकतन्त्र को गति प्रदान करते हैं। विरोधी दल सरकार की आलोचना करते हैं तथा अपना कार्यक्रम जनता के समक्ष प्रस्तुत करके जनमत को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न करते हैं। जनता जिन उम्मीदवारों को योग्य, कुशल तथा सक्षम समझती है, उन्हें ही मतदान कर शासन संचालन का अधिकार भी प्रदान करती है। राजनीतिक दल जनता तथा सरकार के मध्य कड़ी का कार्य करते हैं। शासन से सम्बन्धित सूचनाएँ जनता को राजनीतिक दलों के माध्यम से भी प्राप्त होती हैं।

(8) स्थानीय संस्थाओं को प्रोत्साहन—राजनीतिक दल स्थानीय संस्थाओं की विशेषताएँ और महत्त्व बताकर नागरिकों को ऐसी स्थानीय संस्थाओं को जन्म देने की प्रेरणा देते हैं, जो उन समस्याओं का समाधान करने में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सके।

(9) सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य—राजनीतिक दल महत्त्वपूर्ण सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों को भी सम्पन्न करते हैं।

(10) शासन की आलोचना—निर्वाचन में जिस दल को बहुमत प्राप्त न हो तो वह प्रतिपक्ष के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। प्रतिपक्ष के रूप में उसका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह शासन को

सचेत रखे। वह सरकार की सकारात्मक आलोचना करके वैकल्पिक नीतियाँ प्रस्तुत करता है तथा सरकार को रचनात्मक सहयोग प्रदान करता है। विपक्षी दल शासन की कमजोरियों को जनता के सामने रखकर उसके विरुद्ध लोकमत तैयार करता है।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों के कार्य इतने महत्त्वपूर्ण होते हैं कि राजनीतिक दल लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली में अनिवार्य माने जाते हैं। **फाइनर** के अनुसार, ''राजनीतिक दल समस्त राष्ट्र को बन्धुत्व के सूत्र में संगठित करते हैं तथा प्रत्येक नागरिक के सम्मुख राष्ट्र का चित्र प्रस्तुत करते हैं।'' यदि लोकतन्त्र रेलगाड़ी है तो उसके चलने के लिए राजनीतिक दलों के रूप में पटरियों की भी आवश्यकता है। राजनीतिक दल लोकतन्त्ररूपी शरीर के ढाँचे को भरने के लिए मांस तथा रक्त का कार्य करते हैं।

राजनीतिक दलों के गुण

राजनीतिक दलों के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं—

(1) दल; मानवीय स्वभाव के अनुकूल—मानव स्वभाव की विभिन्नता उनके विचारों में परिलक्षित होती है। कुछ व्यक्ति उदार विचारों के होते हैं, कुछ अनुदार तथा कुछ क्रान्तिकारी। यह विभिन्नता विभिन्न दलों द्वारा अभिव्यक्त होती है। एक-से विचारों के व्यक्ति एक दल में संगठित हो जाते हैं। इसलिए दल मानव प्रकृति के अनुकूल हैं। दलों के अभाव में मानव प्रकृति अपने विचारों की अभिव्यक्ति विरोधी समूहों द्वारा खोजेगी, जिससे विचारों का सकारात्मक महत्त्व नष्ट हो जाएगा।

(2) लोकतन्त्र की सफलता केवल दलों द्वारा ही सम्भव—राजनीतिक दल लोकतन्त्र के आधार-स्तम्भ हैं। इनके बिना लोकतन्त्र नहीं चल सकता है। ये चुनाव को सम्भव बनाते हैं, प्रचार करते हैं तथा जनमत को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न करते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना राजनीतिक दल के करोड़ों मतदाताओं के निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ सकता है। साथ ही दल चुनाव के बाद संसद में अनुशासन बनाए रखते हैं, सरकार का निर्माण सम्भव बनाते हैं और विरोधी दल का कार्य करते हैं। बिना दल के सरकार का निर्माण और संचालन असम्भव है। **लीकॉक** के अनुसार, ''लोकतन्त्रीय सरकार के साथ सैद्धान्तिक विरोध होने पर भी यही एक तथ्य है, जो लोकतन्त्र को सम्भव बनाता है। अकेले रहकर व्यक्तियों के लिए शासन करना कठिन है। आधुनिक लोकतन्त्र राज्य इस कृत्रिम तथापि आवश्यक यन्त्र के बिना व्यक्तिगत मतों का समूह मात्र बनकर रह जाएगा।'' राजनीतिक दल लोकतन्त्ररूपी रथ के पहिये होते हैं। जिस प्रकार पहियों के अभाव में रथ अपने मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकता है, उसी प्रकार राजनीतिक दलोंरूपी पहियों के अभाव में लोकतन्त्ररूपी रथ अपने मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकता है। **ब्राइस** के अनुसार, ''राजनीतिक दल अनिवार्य हैं। कोई भी बड़ा स्वतन्त्र देश उनके बिना नहीं रह सकता है।''

(3) क्रान्ति तथा उपद्रव से रक्षा—राजनीतिक दल देश की क्रान्ति से सुरक्षा करते हैं। ये चुनाव द्वारा परिवर्तन को सम्भव बनाकर क्रान्ति का विकल्प प्रस्तुत करते हैं। जब निश्चित समय पश्चात् चुनाव द्वारा शासन परिवर्तित करने का विकल्प है, तो क्रान्ति का आश्रय नहीं लिया जाता है। यदि कोई सत्ताधारी दल बेकार है और उसका ध्येय सभी लोगों के हितों के लिए कार्य करना नहीं है, तो मतदाता चुनाव द्वारा दूसरे दल को सत्ता सौंप देते हैं। दलीय सरकार जनमत से चलती है। **मैकाइवर** का कथन है, ''दलीय व्यवस्था के बिना राज्य में न तो लोच ही आ सकता है और न सच्चा आत्मनिर्णय का भाव ही।''

(4) प्रत्यक्ष व्यवस्थापन के दोषों का निवारण—जनता सदैव भावना तथा जोश में बह जाती है। दल इस जोश को ठण्डा करते हैं। किसी भी विषय पर पहले दलीय वाद-विवाद होता है। व्यवस्थापिका में पारित होने से पूर्व प्रत्येक प्रस्ताव पर पूर्ण वाद-विवाद होता है। इससे हम प्रत्यक्ष व्यवस्थापन के दोष से बच जाते हैं। **लॉवेल** के शब्दों में, ''यदि राजनीतिक दल कुछ सीमा तक जनमत को भ्रमित करते हैं, तो वह दूसरी ओर जोश की आकस्मिक लहरों द्वारा उत्पन्न महान् तोड़-मोड़ को भी रोकते हैं।'' वर्तमान समय के विशाल देशों में प्रत्यक्ष व्यवस्थापन व्यवहार में सम्भव भी नहीं है।

(5) स्वेच्छाचारिता पर नियन्त्रण—दल व्यवस्था सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगाती है। विरोधी दल सरकार की नीति, कार्यक्रम तथा प्रशासन की लगातार जाँच-पड़ताल तथा आलोचना करते हैं। इससे

सरकार स्वेच्छाचारी नहीं हो पाती है। **लॉवेल** के शब्दों में, ''दल जनता को सरकार पर नियन्त्रण रखने योग्य बनाता है। मान्य विरोधी दल की निरन्तर उपस्थिति स्वेच्छाचारिता में बाधा है। विरोधी दल का अस्तित्व, जिसका कार्यक्रम सम्भवत: जनमत की सीमाओं के अन्तर्गत होता है, अत्याचार के विरुद्ध एक रोक है।''

(6) सरकार के अंगों में समन्वय—अध्यक्षात्मक शासन, जो शक्ति-पृथक्करण में आस्था रखता है, बिना दलों के समुचित रूप से संचालित नहीं हो सकता है। दलीय व्यवस्था के अभाव में सरकार के अंगों में संघर्ष तथा गतिरोध होगा और सरकार का संचालन कठिन हो जाएगा। संसदीय शासन में बहुमत दल ही सरकार बनाता है। यदि दल का सहारा न हो तो न सरकार बन सकती है और न चल सकती है। दल सरकार का निर्माण सम्भव बनाते हैं तथा उसे दायित्व एवं स्थायित्व प्रदान करते हैं।

(7) राजनीतिक शिक्षा—दल लोकतन्त्र में राजनीतिक शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है। प्रेस, मंच, सभा, पत्रिका, साहित्य, संसदीय वाद-विवाद तथा प्रचार द्वारा ये जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। ये जनता को विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हैं और उसके विभिन्न पहलू जनता के सम्मुख रखते हैं। इनके द्वारा जनता में जागृति उत्पन्न होती है और वह राजनीतिक निर्णय लेने में समर्थ होती है। **ब्राइस** के अनुसार, ''दल राष्ट्र के हृदय को उसी प्रकार सचेत रखते हैं, जिस प्रकार सागर की उमड़ती लहरों का उतार-चढ़ाव समुद्र में आने वाले जल के रास्तों को व किनारों को स्वच्छ रखता है—कोई भी पुरुष उन विषयों के सम्बन्ध में गम्भीरता व लगन से विचार नहीं करता है जो कि उसके कार्य-क्षेत्र से बाहर होते हैं। यदि दलों की रोशनी निरन्तर न पड़ती रहे, तो जनमत अवश्य ही अनिश्चित व अप्रभावित रहेगा।''

(8) अनुशासन—दल एक विशेष प्रकार का अनुशासन लागू करते हैं। **ब्राइस** के शब्दों में, ''यह न केवल मतदाताओं की अव्यवस्थित भीड़ की खलबली में व्यवस्था का संचार करते हैं, अपितु सदस्यों को भी अनुशासन व स्थिरता का प्रशिक्षण देते हैं। ये व्यवस्थापिकाओं में दलीय अनुशासन रखते हैं, जो स्वार्थ व भ्रष्टाचार पर आवश्यक नियन्त्रण है।'' वास्तव में दलीय व्यवस्था के अभाव में प्रत्येक सदस्य मनमानी करेगा तथा अपने स्वार्थों की पूर्ति करेगा। दल आत्म-अनुशासन सिखाते हैं, जो राष्ट्र की प्रगति का आधार है। **डॉ० फाइनर** का मत है, ''दलीय व्यवस्था व्यक्तिगत नागरिकों में राष्ट्रीय दृष्टिकोण उत्पन्न करती है, चाहे उनमें ऐतिहासिक व प्रादेशिक विभिन्नता तथा दूरी ही क्यों न हो।''

(9) श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण—दल प्रणाली से श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण होता है। एक दल दूसरे दल की गलतियों को जनता के सम्मुख प्रस्तुत करता है। विधानसभाओं में विरोधी दल कानून-निर्माण में सत्ताधारी दल की अनुचित नीतियों की आलोचना करते हैं तथा उनको सुधारने के सुझाव भी प्रदान करते हैं। **लॉवेल** के शब्दों में, ''दल-संगठन, राजनीतिक उतावलेपन को नियन्त्रित करते हैं।''

(10) जन-इच्छाओं को संगठित करना—राजनीतिक दल जनता की अव्यक्त इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। दलों के अभाव में जन-इच्छा को संगठित करना कठिन हो जाएगा। दल जन-इच्छा को संगठित करते हैं तथा लोकमत का निर्माण करते हैं। राजनीतिक दल सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं।

(11) सुधारों के प्रेरक—राजनीतिक दल धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक सुधार कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। सामाजिक कुरीतियों को दूर करना पिछड़े राज्यों में दलों का प्रमुख कार्य है। इस कार्य में सहयोग करने के लिए जनमत का निर्माण करते हैं, समस्याओं का अध्ययन करते हैं तथा राजनीतिक एवं विशेषज्ञ समितियों का निर्माण करते हैं।

(12) राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन—राजनीतिक दल राष्ट्रीय एकता को स्थापित करते हैं। स्थानीयता, जातिवाद, धार्मिक तथा क्षेत्रीय संकीर्णता का परित्याग कर ये नागरिकों में राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित करते हैं। **डॉ० फाइनर** के शब्दों में, ''राजनीतिक दल इस प्रकार कार्य करते हैं कि प्रत्येक नागरिक को सम्पूर्ण राष्ट्र का ज्ञान प्राप्त हो जाए जो अन्य प्रकार से समय तथा प्रदेश की दूरी के माध्यम से प्राप्त करना असम्भव है।''

राजनीतिक दलों के दोष

राजनीतिक दलों के प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं—

(1) असत्य राजनीतिक तथ्य—राजनीतिक दल विचारों की समानता का झूठा दावा करते हैं। यह एक कृत्रिम समझौता है, जहाँ सहमति व असहमति दोनों ही असत्य तथा अवसरानुकूल होती हैं। जनता व्यर्थ ही पक्ष

और विपक्ष में विभाजित हो जाती है। **लीकॉक** के अनुसार, ''प्रत्येक पक्ष चेतन अविश्वास की मुद्रा में रहता है तथा व्यक्तिगत निर्णय दल के निर्णय में जमकर समाप्त हो जाता है।''

(2) गुटबन्दी—राजनीतिक दल गुटबन्दी की भावना उत्पन्न कर देश की एकता को खतरा उत्पन्न कर देते हैं। देश विरोधी गुटों में विभाजित हो जाता है, जो एक-दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। इससे राष्ट्र कमजोर तथा प्रशासन दुर्बल होता है। **गिलक्राइस्ट** के शब्दों में, ''इनसे राजनीतिक जीवन मशीनी तथा कृत्रिम बनता है। विरोधी दल सदैव शासक दल का शत्रु होता है।'' **वाशिंगटन** ने कहा था—''यह (राजनीतिक दल) जाति को दूषित ईर्ष्याओं से व झूठे भयों से ग्रसित करती है, पारस्परिक शत्रुता को उत्तेजित करती है तथा कभी-कभी उपद्रवों और राजद्रोहों को रचती है।''

(3) दूसरे दलों के योग्य व्यक्तियों को शासन में स्थान नहीं दिया जाना—दल व्यवस्था में विजयी दल सरकार बनाता है। विरोधी दल के योग्य व्यक्ति भी शासन नहीं कर पाते हैं, बहुमत प्राप्त दल केवल अपने दल की ही सरकार बनाते हैं। 'राजनीतिक सजातीयता' के कारण राष्ट्र अनेक योग्य व्यक्तियों की सेवाओं से वंचित रह जाता है।

(4) दलीय हितों को प्रोत्साहन—दल व्यवस्था में दलीय हित राष्ट्रीय हितों से भी ऊपर हो जाते हैं। विरोधी दल का ध्येय राष्ट्रीय हितों के मूल्य पर सत्ताधारी दल का निरन्तर विरोध करना हो जाता है। उसके अच्छे कार्यों की भी आलोचना की जाती है। शासक दल अपने दल की स्थिति सुदृढ़ करने में लगा रहता है। इससे सार्वजनिक गतिविधियों को गहरी चोट पहुँचती है तथा राष्ट्र का हित निरन्तर खतरे में रहता है। शत्रुता, कड़वाहट, ईर्ष्या, द्वेष तथा संघर्ष समस्त राष्ट्रीय जीवन को दूषित कर देते हैं।

(5) खोखलापन तथा पाखण्ड—दल व्यवस्था खोखली तथा पाखण्डपूर्ण होती है। दल मौलिक सिद्धान्तों पर विभाजित नहीं होते हैं, वरन् सहमति तथा असहमति का दम्भ भरते हैं। निरन्तर दल-बदल होता रहता है, परन्तु सिद्धान्तों का झूठा दावा होता रहता है। चुनाव के समय दावे केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए होते हैं। इन बातों से दलों का खोखलापन व्यक्त होता है। इसलिए दलीय व्यवस्था की 'व्यवस्थित पाखण्ड' कहकर आलोचना की जाती है।

(6) व्यक्तित्व का विनाश—दलों का कठोर अनुशासन व्यक्तित्व का दमन करता है। सदस्य एक मशीन के पुर्जे बनकर रह जाते हैं, जो मशीन के साथ ही चलते हैं। व्यक्ति के अपने विचारों का कोई महत्त्व नहीं होता है तथा उसे विचारों की स्वतन्त्रता भी नहीं होती है। समस्त विचार कुछ साँचों में ढल जाते हैं। **लीकॉक** के अनुसार, ''दल के साँचे में ही व्यक्ति का निर्णय तंग रूप में जम जाता है। इस प्रकार सर्वसम्मति आलोचकों को झूठी और हानिकारक दिखाई देती है। ये व्यक्ति के विचारों और कार्यों की स्वतन्त्रता का दमन करते हैं, जो लोकतन्त्र का आधार होती है।''

(7) अस्थायी सरकार—दलीय सरकार कमजोर और अस्थिर होती है। संसदीय शासन में तो बहुदलीय पद्धति पर आधारित सरकार किसी भी समय संसद में पराजित होने पर समाप्त हो जाती है। जहाँ अनेक दल होते हैं वहाँ दल-प्रथा सरकार का संचालन कठिन बना देती है। फ्रांस में सरकार का निरन्तर बनना-बिगड़ना एक सामान्य खेल बन गया था। कभी-कभी दल-बदल सरकार को अस्थिर बना देते हैं। इस प्रकार दल-प्रथा पर आधारित सरकार अस्थायी तथा दुर्बल होती है।

(8) राष्ट्रीय जीवन दूषित होना—राजनीतिक दल पक्षपात व भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं। पदों के लिए दलीय आधार पर लूटमार होती है। कुछ नेता दलों के सहारे अपनी सत्ता बना बैठते हैं और भ्रष्ट तरीकों से पद पर बने रहते हैं। चुनाव के समय भिन्न-भिन्न प्रकार के झूठे प्रचार और वायदे किए जाते हैं, मतदाताओं का शोषण किया जाता है। गुट, जाति तथा धर्म के नाम पर वोट माँगे जाते हैं। इससे समस्त राष्ट्रीय जीवन दूषित हो जाता है।

(9) धन का अपव्यय—दल निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधियों पर पर्याप्त धन व्यय करते हैं। बड़े-बड़े अधिवेशनों के नाटक होते हैं और लाखों-करोड़ों रुपया व्यर्थ ही व्यय होता है। इसके अतिरिक्त पत्रिकाओं, प्रचार और सार्वजनिक सभाओं पर व्यय होता है। चुनावों पर बड़ी राशि व्यय की जाती है। इस धन को एकत्र करने के लिए दल अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं। सत्ताधारी दल विभिन्न भ्रष्ट तरीकों से धन एकत्र करने का प्रयत्न करता है। इससे भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है।

(10) पूँजीपति वर्ग का सहायक—अनेक देशों की शासन व्यवस्थाओं में यह देखा गया है कि पूँजीपति वर्ग राजनीतिक दलों के माध्यम से शासन पर नियन्त्रण स्थापित कर लेते हैं। दल पूँजीपतियों से आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं अत: वे उनके हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। सरकार पर इस नियन्त्रण के कारण वे अदृश्य सरकार का रूप धारण कर लेते हैं।

(11) सरकार की तानाशाही में सहायक—दलीय व्यवस्था के कारण ही सरकार ने तानाशाही का रूप धारण कर लिया है। ब्रिटेन की द्विदलीय पद्धति के कारण सरकार की तानाशाही में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। संसद सत्तारूढ़ दल तथा विरोधी दलों के मध्य विभाजित हो जाती है। दलीय अनुशासन के कारण सत्तारूढ़ दल के सदस्य सदैव सरकार की नीतियों का समर्थन करने के लिए बाध्य होते हैं। ऐसा न करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है।

राजनीतिक दलों में अनेक दोष हैं, परन्तु फिर भी इनका होना अनिवार्य है क्योंकि इनके अभाव में लोकतन्त्र का सफल संचालन नहीं हो सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम दल प्रणाली के दोषों को दूर करें। दल निश्चित विचारों और सिद्धान्तों पर निर्मित हों तथा जनता सजग, बुद्धिमत्तापूर्ण तथा सच्ची हो। सार्वजनिक जीवन ऊँचा होने पर ही दल प्रणाली समुचित रूप से कार्य कर सकेगी। दल प्रणाली ही एकमात्र साधन है, जिसके द्वारा जनता का अनिश्चित बहुमत शासन पर सुनिश्चित नियन्त्रण करता है। इनके माध्यम से ही सरकार का निर्माण तथा विरोध दोनों ही सम्भव हो पाते हैं। राजनीतिक दल दोषपूर्ण होते हुए भी लोकतन्त्र के लिए अनिवार्य हैं। **बर्क** के शब्दों में, ''दल प्रणाली चाहे पूर्ण रूप से भले के लिए हो या बुरे के लिए, लोकतन्त्र शासन व्यवस्था के लिए अनिवार्य है।'' **लॉवेल** के अनुसार, ''राजनीतिक दल अच्छे हैं या बुरे, इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र करना वैसा ही है, जैसा इस सम्बन्ध में विचार करना कि हवाएँ तथा समुद्र की लहरें अच्छी हैं या बुरी।'' निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि लोकतन्त्र में राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं। इनके अभाव में लोकतन्त्र का रथ अपनी वास्तविक मंजिल तक नहीं पहुँच सकता है। ●